न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 55/2023

सुमित्रा पत्नि भींवाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
वादीनी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. दुलाराम पुत्र मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. भंवरलाल पुत्र मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. भागीरथ पुत्र मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. माणकचन्द पुत्र मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. माना पुत्री मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. हीरा पुत्री मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. पेमा पुत्री मोतीराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. रामेश्वरी पत्नि सादुराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. अमराराम पुत्र सादुराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. मदनलाल पुत्र सादुराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
12. रूपाराम पुत्र सादुराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
13. तीजा पत्नि फेफाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
14. तोलुराम पुत्र फेफाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
15. सीताराम पुत्र फेफाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. हस्तु पुत्री फेफाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
17. कमा पुत्री फेफाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
18. उगमादेवी पत्नि उम्मेदाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
19. किशनाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
20. नन्दकिशोर पुत्र गोवर्धनराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
21. युधिष्ठिर शर्मा पुत्र नन्दकिशोर जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
22. आसी पुत्री धुडाराम जाति महा–ब्राहम्ण (अचरिज) निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
23. गोपालसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
24. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
25. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 12-12-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 341 तीन सौ इकतालीस तादादी 4.1607 चार दशमलव एक छः जीरो सात हेक्टेयर, खसरा संख्या 484 चार सौ चौरासी तादादी 3.8698

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

तीन दशमलव आठ छः नौ आठ हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। खसरा संख्या 341 तीन सौ इकतालीस तादादी 4.1607 चार दशमलव एक छः जीरो सात हेक्टेयर में वादीनी का 2029/3380 दौ हजार उनतीस बट्टा तीन हजार तीन सौ अस्सी हिस्सा है व खसरा संख्या 484 चार सौ चौरासी तादादी 3.8698 तीन दशमलव आठ छः नौ आठ हेक्टेयर में वादीनी का 16631/38698 सोलह हजार छः सौ इकतीस बट्टा अडतीस हजार छः सौ अठानवे हिस्सा है। वर्तमान मौका कब्जा काश्त अनुसार खसरा संख्या 341 तीन सौ इकतालीस तादादी 4.1607 चार दशमलव एक छः जीरो सात हेक्टेयर समपूर्ण वादीनी के हिस्सा पांति में आया हुआ है। वादगत भूमि का मौके पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 5.3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल करेगें तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगें, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 23 तईस की ऐलानियां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 25 पच्चीस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार उम्मेदाराम पुत्र भाणुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 18 अठारह ता 19 उनीस है। खातेदार निमेश्वरी पत्नि मोतीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ है। जो वाद में पक्षकार है। खातेदार हस्तु व कमा अलग-अलग महिला के नाम है, इस कारण इनको अलग-अलग पक्षकार बनाया गया है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: **आदेश** :-

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ईयारा खसरा संख्या 341, 484 तादादी कमशः 4.1607, 3.8698 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 4.1607 हेक्टेयर भूमि है। वादीनी की 4.1607 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण खसरा संख्या 341 में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीनी की 4.1607 हेक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
सुमित्रा बनाम किशनाराम आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्रादि बाबत।

मुकदमा न.:– 55/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ईंयारा खसरा संख्या 341, 484 तादादी कमशः 4.1607, 3.8698 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 4.1607 हेक्टेयर भूमि है। वादीनी की 4.1607 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण खसरा संख्या 341 में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से केवल वादीनी की 4.1607 हेक्टेयर भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज......—......मुबलिग......—......बाबत......—......खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह......—......

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक......—......को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख...12-12-2024...

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरु)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)